



2026:AHC:127140

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 19741 वर्ष 2026

फरहान..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : योगेश मिश्रा

प्रतिपक्षी पक्षगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 45

माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के अधिवक्ता के साथ-साथ उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 2/3 के तहत केस अपराध संख्या-83 वर्ष 2026 में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए प्रस्तुत जमानत याचिका दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता की दलील यह है कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है और उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक की ओर से आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक के खिलाफ गिरोह चार्ट में दो मामले दिखाए गए हैं और सभी मामलों में, आवेदक जमानत पर है।
4. उन्होंने आगे कहा कि प्राथमिकी में, मुद्दे में, सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के साथ-साथ आवेदक के खिलाफ अनुचित अस्थायी, आर्थिक, सामग्री या समान प्रकृति के अन्य लाभ प्राप्त

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करने के संबंध में आरोप अस्पष्ट हैं। इसके अलावा, कहा गया है कि अधिनियम की धारा 2 के तहत प्रदान किए गए "गिरोह" और "गैंगस्टर" शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले अभियुक्त की ओर से किसी कार्य या चूक से संबंधित आरोप के अभाव में, कोई भी प्राथमिकी सुनवाई योग्य नहीं है। प्रस्तुत मामले में, प्राथमिकी लंबित आपराधिक मामलों पर आधारित है, न कि किसी नए आरोप या तथ्य की खोज पर जो समाज पर गंभीर प्रतिबिंब है, जिसके लिए अधिनियम अधिनियमित किया गया था।

5. उन्होंने यह भी कहा कि अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग प्रतिशोध लेने या नागरिकों को परेशान करने या डराने या राजनीतिक या अन्य मोर्चों पर हिसाब चुकता करने के लिए एक हथियार के रूप में नहीं किया जा सकता है।

6. उन्होंने कहा कि इस मामले में, ऐसा प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन ने अच्छा काम दिखाने या प्रशंसा हासिल करने या सरकार या सत्तारूढ़ दल के उच्च अधिकारियों से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया है, जो अनुचित है।

7. उन्होंने यह भी कहा कि मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आवेदक गैंगस्टर अधिनियम के तहत अपराध का दोषी नहीं है और वह जमानत पर रहते हुए अपराध नहीं करेगा। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि जमानत पर रहते हुए आवेदक कोई अपराध नहीं करेगा और न ही सबूतों से छेड़छाड़ करने या गवाहों को किसी भी तरह से प्रभावित करने की कोशिश करेगा।

8. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक इस मामले में 12.5.2026 से जेल में बंद है और इस बात की कोई आशंका नहीं है कि, यदि आवेदक को जमानत की सुविधा दी जाती है, तो वह कानून के प्रविधि से भाग सकता है या वह विचारण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं होगा, साथ ही अभिलेखों पर उपलब्ध साक्ष्य/सामग्री यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है कि आवेदक अपराधों का दोषी है गैंग चार्ट में उल्लेख किया गया है।

9. इन परिस्थितियों में, आवेदक जमानत का हकदार है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।



10. अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत देने के लिए प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया है कि गिरोह चार्ट में उल्लिखित मामलों में, आवेदक जमानत पर है। हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि आवेदक एक गिरोह का सदस्य है और अपराध करने की आदत है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी तरह की असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होगा और अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकी देकर जमानत का दुरुपयोग करेगा।

11. उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) इस प्रकार है: -

"(4) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दंडनीय अपराध का अभियुक्त कोई व्यक्ति, यदि हिरासत में है, तो जमानत पर या अपने स्वयं के मुचलके पर रिहा नहीं किया जाएगा, जब तक कि -

(क) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया गया है, और

(ख) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, न्यायालय संतुष्ट है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

12. उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) के आलोक में, मैंने अभिलेखों पर उपलब्ध ठोस साक्ष्य, अपराध की प्रकृति जिसका उल्लेख गिरोह चार्ट में किया गया है और अभियुक्त-आवेदक की आपराधिक पृष्ठभूमि पर विचार किया है।

13. भारत संघ बनाम के.ए. नजीब, (2021) 3 एस.सी.सी.713 में, यह माना गया था कि कई निर्णयों में कि संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता न केवल उचित प्रक्रिया और निष्पक्षता के दायरे में बल्कि न्याय तक पहुंच और त्वरित सुनवाई को भी आच्छादित करेगी।



"सुप्रीम कोर्ट लीगल ऐड कमेटी रिप्रेजेंटिंग अंडरट्रायल प्रिजनर्स बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विचाराधीन कैदियों (अंडरट्रायल) को मुकदमे के लंबित रहने के दौरान अनिश्चित काल तक निरुद्ध (हिरासत में) नहीं रखा जा सकता है।" भारत सरकार ने यह व्यवस्था दी थी कि विचारणाधीन कैदियों को विचारण लंबित रहने तक अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। आदर्श रूप से, किसी भी व्यक्ति को अपने कृत्यों के प्रतिकूल परिणाम भुगतने नहीं चाहिए जब तक कि इसे एक तटस्थ मध्यस्थ के सामने स्थापित नहीं किया जाता है। हालांकि, वास्तविक जीवन की व्यावहारिकता के कारण जहां एक प्रभावी विचारण को सुरक्षित किया जा सकता है और एक संभावित अपराधी को बड़े पैमाने पर लंबित मुकदमे में छोड़ दिया जाता है, तो समाज के लिए जोखिम को कम करने के लिए, अदालतों को यह तय करने का काम सौंपा जाता है कि किसी व्यक्ति को मुकदमे के लंबित रहने तक रिहा किया जाना चाहिए या नहीं। एक बार जब यह स्पष्ट हो जाता है कि समय पर सुनवाई संभव नहीं होगी और अभियुक्त को एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए कैद का सामना करना पड़ा है, तो अदालतें आमतौर पर उन्हें जमानत पर रिहा करने के लिए बाध्य होंगी।

14. ऊपर उल्लिखित पक्षकारों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के बड़े जनादेश और दाताराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, (2018)3 एस.सी.सी.22 और सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई और अन्य, एस.एल.पी. (सीआरएल) संख्या-5191 वर्ष 2021 में पारित और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, जमानत आवेदन की अनुमति है।

15. उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक-फरहान को निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए: -

- (i) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि को कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त की चूक के मामले में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार आदेश पारित किया जाएगा।



(ii) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति के मामले में, पर्याप्त कारण के बिना, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क/बी.एन.एस. के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) "यदि आवेदक, विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 82 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 84 के अंतर्गत उद्धोषणा जारी की जा सकती है तथा यदि आवेदक ऐसी उद्धोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 174-क / भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 209 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करेगा।"

(iv) आवेदक (1) मामले को खोलने, (2) आरोप तय करने और (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313/351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए इस तरह की चूक को जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

16. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

15 जून 2026



ललित शुक्ला

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।